न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 111 / 2023

1 संतोष कंवर पत्नी रघुवीर सिंह।
2 दलीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह।
3 भवानी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह।
4 हिम्मत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह।
5 भारत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पूर्णसिंह पुत्र कायमसिंह।
2 नरेन्द्र सिंह पुत्र कायमसिंह।
3 राजेन्द्र सिंह पुत्र कायमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 उप पंजियक तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 आनन्द कंवर पुत्री सवाईसिंह।
8 ईचरज कंवर पत्नी सवाईसिंह।
9 चांद कंवर पुत्री सवाईसिंह।
10 जयसिंह पुत्र दयालसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 दिपेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह।
12 नन्दूसिंह उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र दयालसिंह।
13 पुष्पा कंवर पुत्री दयालसिंह।
14 महेन्द्र सिंह पुत्र दयालसिंह।
15 रघुवीर सिंह पुत्र सवाईसिंह।
16 राधा कंवर पुत्री सवाईसिंह।
17 सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाईसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
18 जोधा पुत्र देवा।
19 नाथा पुत्र मंगला समस्त जाति जाट निवासीगण नाथुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
20 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 106/2020 दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी संतोष कंवर बनाम पूर्णसिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 24.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 106 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम नाथुसर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 4262,1881, 1882,3854,3855,3858,3861,3862,3863,3864,3865,3998,3999,4013,4014,4019 ,4019 / 9797,5273,3866,3867,3455,3460,3461 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमती से प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायाहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। उभयपक्ष की सहमती के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय सुनाया गया।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]